कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
Email- Noidalofficerddn@gmail.com Phone/Fax-2767611

पत्रांकः– / FP/UK/ROAD/32113/2018 दिनांकः देहरादून 01/11/ ~~अक्टूबर~~, 2022

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, 25–सुभाष रोड,
देहरादून।

विषयः– जनपद–रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत ककोला–शीशों–अगरतोंदला–कलाकोट–जयकण्डी–बगड़धार–काण्डा–गणेशनगर मोटर के निर्माण हेतु 0.833 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव के संबंध में।

सन्दर्भः– अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या 833/X-4-18/1(138)/2018 दिनांक 10.09.2018।

महोदय,

विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित **EDS** दिनांक **10.09.2018** के सम्बन्ध में वन संरक्षक गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी के पत्रांक 963/12–1 दिनांक 13.10.2022 एवं पत्र दिनांक 20.06.2022 (प्रति संलग्न) के द्वारा से प्राप्त आख्या के क्रम में प्रेषित बिन्दुवार सूचना निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है :–

शर्त	शर्त का विवरण	अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़ें स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु रू0 1253481.00 की धनराशि का भुगतान वन विभाग के पक्ष में NEFT/RTGS के माध्यम से जमा किया जा चुका है। **(संलग्नक–1)**
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए.सं.–566 एवं भारत सरकार पत्र सं. 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05–02–2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन.पी.वी. हेतु रुपये 547281.00 मात्र की धनराशि का भुगतान वन विभाग के पक्ष में NEFT/RTGS के माध्यम से जमा किया जा चुका है। **(संलग्नक–1 के अनुसार)**
3	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्वता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दर मे बढोत्तरी होती है तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोत्तरी से सम्बन्धित बचनवद्धता का प्रमाण–पत्र पूर्व में ही प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 79 पर सलग्न कर उच्च स्तर को प्रेषित किया गया है. बचनबद्धता की सत्यापित प्रति संलग्न है। **(संलग्नक–2)**
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र सं. 5–3/2007–एफ. सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन.पी.वी. तथा दूसरी सभी निधियों प्रतिपूर्ति पौधरोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा सं.–एस.बी.–25229 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक–11 भूतल सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, फेज–1 लोधी रोड, नई दिल्ली –110003 में जमा करने के उपरान्त ही प्राप्ती, की छायाप्रति, जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चैक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के सन्दर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात एन.पी.वी. क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस–पास वृक्षारोपण तथा अन्य देय	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समस्त देयको का भुगतान (स्थल के आस–पास रिक्त पडे स्थानों पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख रखाव व एन.पी.वी. की निर्धारित धनराशि) निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही रुपये 1800762.00 मात्र की धनराशि का पूर्ण भुगतान वन विभाग के पक्ष में किया गया है। (संलग्नक–1 के अनुसार)

	धनराशियों का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।	
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिये जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का अनुपालन कड़ाई से किये जाने का प्रमाण पत्र पूर्व में ही प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 54 से 58 पर संलग्न कर उच्च स्तर को प्रेषित किये गये हैं। वचनवद्धता की सत्यापित प्रति संलग्न है। (संलग्नक–3)
6	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण–पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वनाधिकार अधिनियम 2006 से सम्बन्धित प्रमाण–पत्र पूर्व में ही प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 49 से 53 पर संलग्न कर उच्च स्तर को प्रेषित किये गये हैं। वचनवद्धता की सत्यापित प्रति संलग्न है। (संलग्नक–4)
7	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्ताव में निहित सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
8	उपरोक्त शर्तों के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।

अतः वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषित प्रतिउत्तर के कम में प्रश्नगत प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय,

(एस0एस0 रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण

संख्या– 1167 / FP/UK/ROAD/32113/2018 दिनांकित।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. वन संरक्षक गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी के पत्रांक 963/12–1 दिनांक 13.10.2022 के कम में।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

(एस0एस0 रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण

14/11/2022

प्रभागीय वन प्रभाग रुद्रप्रयाग
पंजीकरण संख्या ...
पत्रावली ...
दिनांक 14/11/22

PDF Scanner ACE Scanner

E-Mail ID cfgarhwalp@gmail.com, cfgarhwal555@gmail.com, Phone/Fex 01368-222566

कार्यालय वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी

पत्रांकः– / 12–1 दिनांक, पौड़ी, अक्टूबर 18 ,2022.

सेवा में,

ऊपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण
उत्तराखण्ड देहरादून।

विषय– जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत ककोला–शीशों –अमरतोंदला–कलाकोट–जयकण्डी–बगड़धार– काण्डा –गणेशनगर मोटर के निर्माण हेतु 0.833 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव के संबंध में। प्रस्ताव सं0– FP/UK/ROAD/32113/2018

सन्दर्भ– आपकी पत्र सं0 184/FP/UK/ROAD/32113/2018 दिनांक 15.07.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 1078 / 12–1(2) दिनॉक 26.09.2022 (संलग्न) से अवगत कराया गया है कि सन्दर्भित पत्र से चाही गई वांछित सूचना अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग ऊखीमठ ने अपने पत्रांक 2422 / 13सी दिनांक 05.09.2022(संलग्न) से प्रभागीय कार्यालय को निम्नप्रकार प्रेषित की गई है:–

क्र0सं0	कमियाँ	निराकरण
1	भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2011-FC(Vol-I) दिनांक 06.01.2022 एन0पी0वी0 की दरों का पुर्ननिर्धारण किया गया है एवं पत्र संख्या-5-3/2011-FC(Vol-I) दिनांक 19.01.2022 के अनुसार अपेक्षित कार्यवाही करने का कष्ट करें।	प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 1078 / 12–1(2) दिनॉक 26.09.2022 से अवगत कराया गया है कि प्रकरण में अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या–833 / एक्स–4– 18–1(138) / 2018 दिनांक 10.09.2018 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुई है, उक्त स्वीकृति में उल्लिखित शर्त संख्या–2 के अनुसार रुपये 547281.00 मात्र की धनराशि प्रस्तावक विभाग द्वारा जमा की जा चुकी है, जो कि परिवेश पोर्टल के पैरा–18 में भी प्रदर्शित हो रही है। अतः उपरोक्तानुसार प्रकरण में संशोधित एन0पी0वी0 जमा की जानी अपेक्षित नहीं है।
2	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र का राजस्व अभिलेखों (खसरा / खतौनी नं0 अंकित करते हुये) के अनुसार मिलान कर मानचित्र / उपयुक्तता प्रमाण पत्र खसरा संख्या का उल्लेख करते हुये मूल प्रति में उपलब्ध कराये जाने का कष्ट करें।	प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 1078 / 12–1(2) दिनॉक 26.09.2022 से अवगत कराया गया है कि प्रकरण में प्रभावित कुल वन भूमि 1.00 है0 से कम है, तथा शासन द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्त संख्या–1 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि **प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि जमा की जायेगी,** उक्त शर्त के अनुसार रुपये 1253481.00 मात्र की धनराशि प्रस्तावक विभाग द्वारा जमा की जा चुकी है, जो कि परिवेश पोर्टल के पैरा–18 में भी प्रदर्शित हो रही है। प्रकरण में प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु क्षेत्र चयनित किये जाने का उल्लेख नहीं किया गया है। अतः उक्त शर्त प्रकरण पर लागू नहीं है।
3	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम हस्तान्तरित भूमि को वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत आरक्षित / संरक्षित घोषित किये जाने का प्रमाण पत्र भी इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।	प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 1078 / 12–1(2) दिनॉक 26.09.2022 से अवगत कराया गया है कि प्रकरण में प्रभावित कुल वन भूमि 1.00 है0 से कम है, तथा सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्त के अनुसार प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण किये जाने का उल्लेख किया गया है। अतः उक्त शर्त प्रकरण पर लागू नहीं है।

क्रमशः पेज 02 पर

JAIDEEP

4	उपरोक्त के अतिरिक्त इस आशय का प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है कि प्रस्ताव में स्वीकृत समरेखण में ही वृक्षों का पातन एवं स्वीकृत समरेखण में ही मोटर मार्ग का निर्माण किया गया है।	प्रस्ताव में स्वीकृत समरेखण में ही वृक्षों का पातन एवं स्वीकृत समरेखण में ही मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने से संबंधित प्रमाण पत्र प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रेषित किया गया है। (संलग्नक–1)
5	यदि प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रस्तावक विभाग को Working permission दे दी गयी है, तो उसकी प्रति भी इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।	प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग की पत्र संख्या–2350 एवं 2351/9–1 दिनांक 27.05.2019 के द्वारा प्रकरण में प्रभावित वृक्षों का लॉट वन निगम को आवंटित किया गया, जिसके पश्चात् प्रस्तावक विभाग द्वारा मोटर मार्ग का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया है। (संलग्नक–2)
6	यदि प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र आरक्षित वन है तो उसका अधिसूचना (Notification) भी अनुपालन आख्या के साथ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।	प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 1078/12–1(2) दिनॉक 26.09.2022 से अवगत कराया गया है कि प्रकरण में प्रभावित कुल वन भूमि 1.00 है0 से कम है, तथा सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्त के अनुसार प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण किये जाने का उल्लेख किया गया है। अतः उक्त शर्त प्रकरण पर लागू नहीं है।
7	प्रमुख वन संरक्षक (HOFF), उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक–1269/P.O. दिनांक 10.06.2022 द्वारा जारी पत्र में उल्लेखित बिन्दु–01 कृपया सुनिश्चित करें कि ये क्षेत्र जब संबंधित जिलाधिकारी द्वारा वन विभाग के पक्ष में दाखिल खारिज किये जाते हैं तो उस आदेश में यह स्पष्ट इंगित हो कि प्रश्नगत सिविल क्षेत्र का रकवा कितना है तथा उनमें से कितना क्षेत्र वन विभाग के पक्ष में दाखिल खारिज किया जा रहा है एवं यह क्षेत्र पूर्व में किसी अन्य योजना में अथवा वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत पूर्व में गठित प्रस्ताव में नहीं दिया गया है।	प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 1078/12–1(2) दिनॉक 26.09.2022 से अवगत कराया गया है कि प्रकरण में प्रभावित कुल वन भूमि 1.00 है0 से कम है, तथा सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्त के अनुसार प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण किये जाने का उल्लेख किया गया है। अतः उक्त शर्त प्रकरण में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि वन विभाग के पक्ष में दाखिल खारिज नहीं की गई है। अतः उक्त शर्त प्रकरण पर लागू नहीं है।

अतः उपरोक्त प्रकरण में अपने स्तर से यथोचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नः– यथोपरि

भवदीय

(पंकज कुमार)
वन संरक्षक
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड पौड़ी

पत्रांक 963 /12-1 दिनॉक
प्रतिलिपिः–प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग को उनके उपरोक्त पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(पंकज कुमार)
वन संरक्षक
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड पौड़ी

JAIDEEP

ई, मेल :- dforudraprayag@gmail.com
फोन / फैक्स नं0 :- +91-8126660575::
पता -: माई की मढ़ी निकट जवाड़ी बाईपास रूद्रप्रयाग

कार्यालय उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

पत्रांक :- 1078 / 12-1(2) दिनांक 26/09 /2022::

सेवा में

वन संरक्षक
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड,
पौड़ी।

विषय :- जनपद-रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत ककोला-शीशों-अमरतोंदला-कलाकोट-जयकण्डी-बगड़धार-काण्डा-गणेशनगर मोटर के निर्माण हेतु 0.833 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव के संबंध में।
PROPOSAL NO.-FP/UK/ROAD/32113/2018

सन्दर्भ :- आपकी पत्र संख्या-325/12-1 दिनांक 01.08.2022।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित विषयक प्रकरण में अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून की पत्र संख्या-184/FP/UK/ROAD/32113/2018 दिनांक 15.07.2022 से वांछित 07 बिन्दुओं की बिन्दुवार/कॉलमवार सूचना अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, ऊखीमठ ने अपने पत्रांक-2422/13सी0 दिनांक 05.09.2022 के द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित की है, जो निम्न प्रकार प्रेषित है-

बि.सं.	आपत्ति	निराकरण
1	भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2011-FC(Vol-I) दिनांक 06.01.2022 एन0पी0वी0 की दरों का पुर्ननिर्धारण किया गया है एवं पत्र संख्या-5-3/2011-FC(Vol-I) दिनांक 19.01.2022 के अनुसार अपेक्षित कार्यवाही करने का कष्ट करें।	प्रकरण में अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या-833/एक्स-4-18-1(138)/2018 दिनांक 10.09.2018 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुई है, उक्त स्वीकृति में उल्लिखित शर्त संख्या-2 के अनुसार रुपये 547281.00 मात्र की धनराशि प्रस्तावक विभाग द्वारा जमा की जा चुकी है, जो कि परिवेश पोर्टल के पैरा-18 में भी प्रदर्शित हो रही है। अतः उपरोक्तानुसार प्रकरण में संशोधित एन0पी0वी0 जमा की जानी अपेक्षित नहीं है।
2	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र का राजस्व अभिलेखों (खसरा/खतौनी नं0 अंकित करते हुये) के अनुसार मिलान कर मानचित्र/उपयुक्तता प्रमाण पत्र खसरा संख्या का उल्लेख करते हुये मूल प्रति में उपलब्ध कराये जाने का कष्ट करें।	उक्त के संबंध में स्पष्ट कराना है कि प्रकरण में प्रभावित कुल वन भूमि 1.00 है0 से कम है, तथा शासन द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्त संख्या-1 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि **प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि जमा की जायेगी**, उक्त शर्त के अनुसार रुपये 1253481.00 मात्र की धनराशि प्रस्तावक विभाग द्वारा जमा की जा चुकी है, जो कि परिवेश पोर्टल के पैरा-18 में भी प्रदर्शित हो रही है। प्रकरण में प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु क्षेत्र चयनित किये जाने का उल्लेख नहीं किया गया है। अतः उक्त शर्त प्रकरण पर लागू नहीं है।
3	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम हस्तान्तरित भूमि को वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत आरक्षित/संरक्षित घोषित किये जाने का प्रमाण पत्र भी इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।	प्रकरण में प्रभावित कुल वन भूमि 1.00 है0 से कम है, तथा सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्त के अनुसार **प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित** वृक्षारोपण किये जाने का उल्लेख किया गया है। अतः उक्त शर्त प्रकरण पर लागू नहीं है।

क्रमशः-2 पर

4	उपरोक्त के अतिरिक्त इस आशय का प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है कि प्रस्ताव में स्वीकृत समरेखण में ही वृक्षों का पातन एवं स्वीकृत समरेखण में ही मोटर मार्ग का निर्माण किया गया है।	प्रस्ताव में स्वीकृत समरेखण में ही वृक्षों का पातन एवं स्वीकृत समरेखण में ही मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने से संबंधित प्रमाण पत्र प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रेषित किया गया है। (संलग्नक–1)
5	यदि प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रस्तावक विभाग को Working permission दे दी गयी है, तो उसकी प्रति भी इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।	इस कार्यालय की पत्र संख्या–2350 एवं 2351/9–1 दिनांक 27.05.2019 के द्वारा प्रकरण में प्रभावित वृक्षों का लॉट वन निगम को आवंटित किया गया, जिसके पश्चात प्रस्तावक विभाग द्वारा मोटर मार्ग का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया है। (संलग्नक–2)
6	यदि प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र आरक्षित वन है तो उसका अधिसूचना (Notification) भी अनुपालन आख्या के साथ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।	प्रकरण में प्रभावित कुल वन भूमि 1.00 है0 से कम है, तथा सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्त के अनुसार प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण किये जाने का उल्लेख किया गया है। अतः उक्त शर्त प्रकरण पर लागू नहीं है।
7	प्रमुख वन संरक्षक (HOFF), उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक–1269/P.O. दिनांक 10.06.2022 द्वारा जारी पत्र में उल्लेखित बिन्दु–01 कृपया सुनिश्चित करें कि ये क्षेत्र जब संबंधित जिलाधिकारी द्वारा वन विभाग के पक्ष में दाखिल खारिज किये जाते हैं तो उस आदेश में यह स्पष्ट इंगित हो कि प्रश्नगत सिविल क्षेत्र का रकवा कितना है तथा उनमें से कितना क्षेत्र वन विभाग के पक्ष में दाखिल खारिज किया जा रहा है एवं यह क्षेत्र पूर्व में किसी अन्य योजना में अथवा वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत पूर्व में गठित प्रस्ताव में नहीं दिया गया है।	प्रकरण में प्रभावित कुल वन भूमि 1.00 है0 से कम है, तथा सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्त के अनुसार प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण किये जाने का उल्लेख किया गया है। अतः उक्त शर्त प्रकरण में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि वन विभाग के पक्ष में दाखिल खारिज नहीं की गई है। अतः उक्त शर्त प्रकरण पर लागू नहीं है।

<u>संलग्नक :– उपरोक्तानुसार। (चार प्रतियों में)</u>

भवदीय

(हस्ताक्षर)

उप वन संरक्षक,
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।

संख्या– 1078 /दिनांकित।

प्रतिलिपि 1:– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को उनके उक्त पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि 2:– अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, ऊखीमठ को उनके उक्त पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर)

उप वन संरक्षक,
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।

O/C

PDF Scanner ACE Scanner

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)
Office of The Executive Engineer, Construction Division, P.W.D. Ukhimath.

E-mail.- eepwd.ukh@gmail.com

पत्रांक 2422 /13सी० दिनांक 05/09/2022

सेवा में,

उपवन संरक्षक,
रूद्रप्रयाग।

विषयः— जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत ककोला–शीशों–अमरतोन्दला–कलाकोट–जयकण्डी–बगड़धार–काण्डा–गणेशनगर मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.833 है० वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तानान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः— आपका पत्रांक 598/12–1(2) दिनांक 23–08–2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आपके द्वारा चाही गई सूचना बिन्दुवार/कॉलमवार निम्नवत् प्रेषित हैः—

क्र.सं.	कमियां	निराकरण
1	भारत सरकार के पत्र संख्या–5–3/2011– FC(Vol-1) दिनांक 06–01–2022 द्वारा एन.पी.वी. की दरों का पुर्ननिर्धारण किया गया है एवं पत्र संख्या 5–3/2011–FC(Vol-1) दिनांक 19–01–2022 के अनुसार अपेक्षित कार्यवाही करने का कष्ट करें।	उक्त शर्त वर्तमान में इस प्रस्ताव पर लागू नही है।
2	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र का राजस्व अभिलेखों (खसरा/खतौनी नं० अंकित करते हुये) के अनुसार मिलान कर मानचित्र/उपयुक्तता प्रमाण–पत्र खसरा संख्या का उल्लेख करते हुये मूल प्रति में उपलब्ध कराये जाने का कष्ट करें।	प्रस्ताव में वनभूमि 1 है० से कम हैं जिस कारण उक्त शर्त लागू नही है।
3	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम हस्तान्तरित भूमि को वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत आरक्षित/संरक्षित घोषित किये जाने का प्रमाण पत्र भी इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।	प्रस्ताव में वनभूमि 1 है० से कम हैं जिस कारण उक्त शर्त लागू नही है।
4	उपरोक्त के अतिरिक्त इस आशय का प्रमाण–पत्र भी उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है कि प्रस्ताव में स्वीकृत समरेखण में ही वृक्षों का पातन एवं स्वीकृत समरेखण में ही मोटर मार्ग का निर्माण किया गया है।	प्रमाण–पत्र सलंग्न है।
5	यदि प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रस्तावक विभाग को Working permission दे दी गयी है, तो उसकी प्रति भी इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तो के अनुपालन एवं एन० पी० वी० की धनराशि जमा करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया गया है
6	यदि प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र आरक्षित वन है तो उसका अधिसूचना (Notification) भी अनुपालन आख्या के साथ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।	लागू नही है।

प्राप्त 8/9/2022

7	प्रमुख वन संरक्षक (HOFF), उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक 1269/P.O दिनांक 10-06-2022 द्वारा जारी पत्र में उल्लेखित बिन्दु-01 कृपया सुनिश्चित करें कि ये क्षेत्र जब सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा वन विभाग के पक्ष में दाखिल खारिज किये जाते है तो उस आदेश में यह स्पष्ट इंगित हो कि प्रश्नगत सिविल क्षेत्र का रकवा कितना है तथा उनमें से कितना क्षेत्र वन विभाग के पक्ष में दाखिल खारिज किया जा रहा है एवं यह क्षेत्र पूर्व में किसी अन्य योजना में अथवा वन सरंक्षण अधिनियम के अन्तर्गत पूर्व में गठित प्रस्ताव में नही दिया गया है।	लागू नही है।

सलंग्नः—प्रमाण—पत्र 4 प्रति मूल में।

भवदीय,

05/09/2022

(इं॰ मनोज कुमार भट्ट)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो॰नि॰वि॰,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)।

5.9.22

संलग्नक - 1

परियोजना का नामः- जनपद-रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत ककोला-शीर्शो-अमरतोन्दला-कलाकोठ-जयकण्डी-बगड़धार-काण्डा-गणेशनगर मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.433 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

स्वीकृत समरेखण में ही वृक्षों का पातन एवं मोटर मार्ग निर्माण किये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु स्वीकृत समरेखण में ही वृक्षों का पातन एवं मोटर मार्ग का निर्माण किया गया है।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
ऊखीमठ

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
ऊखीमठ

ई. मेल :. dforudraprayag@gmail.Com
फोन / फैक्स नं0 :– 01364 – 233505::
पता –: जवाडी बाईपास रूद्रप्रयाग

संलग्नक-2

कार्यालय उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

पत्रांक 2351 / 9-1 दिनांक 27/05/2019::

सेवा में,

प्रभागीय लौगिक प्रबन्धक,
उत्तराखण्ड वन विकास निगम
कर्णप्रयाग।

विषय – जनपद रूद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत ककोला– शीशी – अगरतोन्दला – कलाकोट – जयकण्डी –बगड्धार – काण्डई – गणेशनगर मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.833 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण करने के संबंध में।

महोदय,

वन क्षेत्राधिकारी, अगस्तमुनि रा़जि की पत्र सख्या– 991 / 12–1 दिनांक 06.04.2019 द्वारा जनपद रूद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत ककोला– शीशी–अगरतोन्दला – कलाकोट – जयकण्डी –बगड्धार –काण्डई –गणेशनगर मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.833 है0 मे आने वाले वृक्षों का छपान कर आपको लौट संख्या– 04 / 2019–20 आंवटित किया जाता हैं। आप नियमानुसार बिक्री की शर्तो के अनुसार बाउण्ड्री रजिस्टर में हस्ताक्षर करने के उपरान्त लौट में कार्य प्रारम्भ करवाने तथा लौट में वृक्षों के पातन प्रगति की पाक्षिक सूचना नियमित रूप से इस कार्यालय को भेजें व लौट की रायल्टी की धनराशि वन पंचायत / सिविल, आरक्षित, नापखेत के अपनी स्तर से भुगतान करे व सूचना इस कार्यालय को प्रेषित करें।

क्र0 सं0	रेंज का नाम	स्थान का नाम	प्रजाति	पातित किये जाने वाले वृक्षों की संख्या	लौट संख्या	लौट पातन की अन्तिम तिथि
01	अगस्तमुनि रेंज	नाप खेत ककोला	भीमल	01	04 / 2019–20	31 / 03 / 2020
			महुआ	01		
			बांज	01		
			चीड़	01		
			योग :–	04		
02		नाप खेत शीशी	चीड़	04		
			भीमल	04		
			तिमला	02		
			खैड़ा	05		
			योग :–	15		
		कुल योग :–		19		

संलग्नक – उपरोक्तानुसार छपान सूची।

भवदीय,

(हस्ताक्षर)
उप वन संरक्षक,
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

संख्या 2351 / तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि– उप प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग उप वन प्रभाग को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर)
उप वन संरक्षक
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

संख्या 2351 / तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि – वन क्षेत्राधिकारी, अगस्तमुनि रा़जि की पत्र सख्या– 991 / 12–1 दिनांक 06.04.2019 के अनुसार इस आशय से प्रेषित कि नियमानुसार बिक्री की शर्तो के अनुसार बाउण्ड्री रजिस्टर में हस्ताक्षर करने के उपरान्त लौट में कार्य प्रारम्भ करवाने तथा लौट में वृक्षो के पातन प्रगति की पाक्षिक सूचना नियमित रूप से इस कार्यालय को भेजे।

(हस्ताक्षर)
उप वन संरक्षक
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

ई. मेल – [illegible]udraprayag@gmail.com
फोन / फैक्स न0 :– 01364 – 233505::
पता – जवाड़ी बाईपास रूद्रप्रयाग

कार्यालय उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

पत्रांक 2350 / 9–1 दिनांक 27 / 05 / 2019::

सेवा में,

प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक,
उत्तराखण्ड वन विकास निगम,
कर्णप्रयाग।

विषय – जनपद रूद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत ककोला– शीशी–अगस्तोन्दला – कलाकोट – जयकण्डी –बगड़धार –काण्डई –गणेशनगर मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.833 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण करने के संबंध में।

महोदय,

वन क्षेत्राधिकारी, अगस्त्यमुनि राजि की पत्र संख्या– 991 / 12–1 दिनांक 06.04.2019 द्वारा जनपद रूद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत ककोला– शीशी–अगस्तान्दला – कलाकोट – जयकण्डी –बगड़धार –काण्डई –गणेशनगर मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.833 है0 में आने वाले वृक्षों का छपान कर आपको लौट संख्या– 03 / 2019–20 आवंटित किया जाता है। आप नियमानुसार बिक्री की शर्तों के अनुसार बाउण्ड्री रजिस्टर में हस्ताक्षर करने के उपरान्त लौट में कार्य प्रारम्भ करवाने तथा लौट में वृक्षों के पातन प्रगति की पाक्षिक सूचना नियमित रूप से इस कार्यालय को भेजे व लौट की रायल्टी की धनराशि वन पंचायत /सिविल, आरक्षित, नापखेत के अपनी स्तर से भुगतान करे व सूचना इस कार्यालय को प्रेषित करें।

क्र0 सं0	रेंज का नाम	स्थान का नाम	प्रजाति	पातित किये जाने वाले वृक्षों की संख्या	लौट संख्या	लौट पातन की अन्तिम तिथि
01	अगस्तमुनि रेंज	ककोला वन पंचायत	बांज	10	03 / 2019–20	31 / 03 / 2020
			योग :–	10		
		कुल योग :–		10		

संलग्नक – उपरोक्तानुसार छपान सूची।

भवदीय,

(हस्ताक्षर)
उप वन संरक्षक,
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

संख्या 2350 / तददिनांकित।

प्रतिलिपि– उप प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग उप वन प्रभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर)
उप वन संरक्षक,
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

संख्या 2350 / तददिनांकित।

प्रतिलिपि – वन क्षेत्राधिकारी, अगस्त्यमुनि राजि की पत्र संख्या– 991 / 12–1 दिनांक 06.04.2019 के अनुसार इस आशय से प्रेषित कि नियमानुसार बिक्री की शर्तों के अनुसार बाउण्ड्री रजिस्टर में हस्ताक्षर करने के उपरान्त लौट में कार्य प्रारम्भ करवाने तथा लौट में वृक्षों के पातन प्रगति की पाक्षिक सूचना नियमित रूप से इस कार्यालय को भेजें।

(हस्ताक्षर)
उप वन संरक्षक,
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

ई0 मेल - dforudraprayag@gmail.com
फोन / फैक्स न0 :– 01364 – 233505::
पता – जवाड़ी बाईपास रूद्रप्रयाग

कार्यालय उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

पत्रांक 2350 / 9–1 दिनांक 27 /05/2019::

सेवा में,

प्रभागीय लौगिक प्रबन्धक,
उत्तराखण्ड वन विकास निगम,
कर्णप्रयाग।

विषय – जनपद रूद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत ककोला– शीशी–अगस्तोन्दला – कलाकोट – जयकण्डी –बगड़धार –काण्डई –गणेशनगर मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.833 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण करने के संबंध में।

महोदय,

वन क्षेत्राधिकारी, अगस्तमुनि रांजि की पत्र संख्या– 991 / 12–1 दिनांक 06.04.2019 द्वारा जनपद रूद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत ककोला– शीशी–अगस्तोन्दला – कलाकोट – जयकण्डी –बगड़धार –काण्डई –गणेशनगर मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.833 है0 में आने वाले वृक्षों का छपान कर आपका लॉट संख्या– 03 / 2019–20 आवंटित किया जाता है। आप नियमानुसार बिक्री की शर्तों के अनुसार बाउण्ड्री रजिस्टर में हस्ताक्षर करने के उपरान्त लॉट में कार्य प्रारम्भ करवाने तथा लॉट में वृक्षों के पातन प्रगति की पाक्षिक सूचना नियमित रूप से इस कार्यालय को भेजे व लॉट की रायल्टी की धनराशि वन पंचायत /सिविल, आरक्षित, नापखेत के अपने स्तर से भुगतान करे व सूचना इस कार्यालय को प्रेषित करें।

क्र0 सं0	रेंज का नाम	स्थान का नाम	प्रजाति	पातित किये जाने वाले वृक्षों की संख्या	लॉट संख्या	लॉट पातन की अन्तिम तिथि
01	अगस्त्यमुनि रेंज	ककोला वन पंचायत	बांज	10	03 / 2019–20	31 / 03 / 2020
			योग :–	10		
		कुल योग :–		10		

संलग्नक – उपरोक्तानुसार छपान सूची।

भवदीय,

(हस्ताक्षर)
उप वन संरक्षक,
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

तद्‌दिनांकित।

संख्या 2350 /
प्रतिलिपि– उप प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग उप वन प्रभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर)
उप वन संरक्षक,
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

तद्‌दिनांकित।

संख्या 2350 /
प्रतिलिपि – वन क्षेत्राधिकारी, अगस्तमुनि रांजि की पत्र संख्या– 991 / 12–1 दिनांक 06.04.2019 के अनुसार इस आशय से प्रेषित कि नियमानुसार बिक्री की शर्तों के अनुसार बाउण्ड्री रजिस्टर में हस्ताक्षर करने के उपरान्त लॉट में कार्य प्रारम्भ करवाने तथा लॉट में वृक्षों के पातन प्रगति की पाक्षिक सूचना नियमित रूप से इस कार्यालय को भेजें।

(हस्ताक्षर)
उप वन संरक्षक
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

PDF Scanner ACE Scanner

संख्या: 833/X-4-18/1(138)/2018

प्रेषक,

सुभाष चन्द्र,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन भूमि हस्तान्तरण, इन्दिरा नगर,
फारेस्ट कालोनी देहरादून।

सितम्बर
देहरादून: दिनांक: 10 ~~अप्रैल~~, 2018

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4

विषय: जनपद-रूद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत ककोला-शीशों-अमरतोन्दला-कलाकोट-जयकण्डी-बगड़धार-काण्डा-गणेशनगर मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.833 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-383/FP/UK/ROAD/32113/2018 दिनांक 04 अगस्त, 2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनपद-रूद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत ककोला-शीशों-अमरतोन्दला-कलाकोट-जयकण्डी-बगड़धार-काण्डा-गणेशनगर मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.833 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने की सैद्धान्तिक स्वीकृति, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या एफ0न0-11-09/98-एफ0 सी0 दिनांक 13 फरवरी, 2014 एवं 18 दिसम्बर, 2015 में निहित प्रावधानों द्वारा प्रदत्त प्राधिकार का प्रयोग करते हुए अधोलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं-

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जाएगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अंतर्गत आई0ए0सं0-566 एवं भारत सरकार पत्र सं0-5-3/2007-एफ0सी0 दिनाक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
3. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र सं0 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधियाँ प्रतिपूर्ति वनरोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा सं0-एस0बी0 25220 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक-11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में जमा करने के उपरान्त ही मावती की छायाप्रति, जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चेक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के सन्दर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस-पास वृक्षारोपण तथा अन्य देय धनराशियों का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही नियत स्वीकृति मान्य होगी।

5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियां एवं भू वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
6. प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों / प्रमाण -पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।
7. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
8. उपरोक्त शर्तों के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।

भवदीय,

(सुभाष चन्द्र)
अपर सचिव।

संख्या: 833(1)/ X-4-18/1(130)/2018, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1. अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाष रोड, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. वन संरक्षक गढ़वाल वृत्त पौड़ी।
4. जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग।
5. प्रभागीय वनाधिकारी, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।
6. अधिशासी अभियंता, नि0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग, ऊखीमठ रूद्रप्रयाग।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सत्यप्रकाश सिंह)
उप सचिव।

P.C. Attested

सहायक अभियन्ता
निमार्ण खण्ड लो0 नि0 वि0
ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)

ई. मेल :- dforudraprayag@gmail.com
फोन / फैक्स नं0 :- 01364 – 233505::
पता :- गाई की गद्दी निकट जवाड़ी बाईपास रूद्रप्रयाग

कार्यालय उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

पत्रांक :- 598 /12–1(2) दिनांक 23 / 08 /2022::

सेवा में

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
ऊखीमठ।

विषय :- जनपद–रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत ककोला–शीशों–अगरतोन्दता–कलाकोट–जयकण्डी–बगड़धार–काण्डा–गणेशनगर मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.833 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव के संबंध में।
PROPOSAL NO.- FP/UK/ROAD/32113/2018

सन्दर्भ :- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून की पत्र संख्या–184/FP/UK/ROAD/32113/2018 दिनांक 15.07.2022 एवं वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी की पत्र संख्या–325 / 12–1 दिनांक 01.08.2022।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित विषयक पत्रों की छायाप्रति संलग्न कर आपको इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि पत्र में उल्लिखित 07 बिन्दुओं पर वांछित सूचना बिन्दुवार / कॉलमवार मूल प्रति सहित 05 प्रतियों में ऑनलाईन / ऑफलाईन शीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

उप वन संरक्षक
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

संख्या– 598 /दिनांकित।

प्रतिलिपि 1:– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्दिरा नगर फारेस्ट कॉलोनी, देहरादून को उनके उक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि 2:– वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी को उनके उक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

उप वन संरक्षक
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

O/C

PDF Scanner ACE Scanner

E Mail I.D.:- cfgarhwalp@gmail.com cfgarhwal555@gmail.com , Phone & Fax :- 01368-222566

कार्यालय वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।

पत्रांकः– 825 / 12-1 , दिनांक, पौड़ी, अगस्त, 01, 2022.

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

विषयः– जनपद रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत ककोला–शीशों–अगरतोंदला–कलाकोट–जयकण्डी–बगडधार काण्डा–गणेशनगर मोटर के निर्माण हेतु 0.833 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण उत्तराखण्ड देहरादून का पत्रांक 184 / FP/UK/ROAD/32113/2018 दिनॉक 15.07.2022

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र (संलग्नक) जो अधोहस्ताक्षरी को सम्बोधित एवं प्रतिलिपि आपको पृष्ठांकित है से विषयांकित मोटर मार्ग के सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या में 7 बिन्दुओं की सूचना चाही गई है।

अतः संलग्नक पत्र से चाही गई 7 बिन्दुओं की सूचना तत्काल इस कार्यालय को ऑनलाईन एवं ऑफलाईन 4 प्रतियों में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि प्रकरण में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय,

(पंकज कुमार)
वन संरक्षक
गढ़वाल वृत्त उत्तराखण्ड पौड़ी

पत्रांकः– दिनांकित

प्रतिलिपि अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण उत्तराखण्ड देहरादून को उनके उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(पंकज कुमार)
वन संरक्षक
गढ़वाल वृत्त उत्तराखण्ड पौड़ी

प्रा0 8/8/2022
डी0 हस्तान्तरण
आवश्यक कार्य0
उ0व0अ0

रूद्रप्रयाग वन प्रभाग रूद्रप्रयाग
पंजीकरण ...
पत्रांक ...1-12(?)...
दिनांक 03/08/022

//Jaideep//

कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail :nodalofficerddn@gmail.com Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांक– 184 / FP/UK/ROAD/32113/2018 देहरादूनः दिनांकः 15 जुलाई, 2022

सेवा में,

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड
पौड़ी।

विषयः– जनपद–रूद्रप्रयाग के अंर्तगत ककोला–शीशों–अगरतोंदला–कलाकोट–जयकण्डी–बगड़धार–काण्डा–गणेशनगर मोटर के निर्माण हेतु 0.833 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव के संबध में।

संदर्भः–आपका पत्रांक –2952 / 12–1, दिनांक 20.06.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, उक्त के कम में उत्तराखड़ शासन के पत्र दिनांक–10.09.2018 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी जिसकी अनुपालन आख्या आपके उक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है। आपके उक्त संदर्भित पत्र के द्वारा प्रेषित की गयी सूचना / आख्या का कार्यालय द्वारा परीक्षण किया गया, परीक्षणोपरान्त प्रस्ताव में निम्न कमियां इंगित हुयी है:–

1. भारत सरकार के पत्र संख्या–5-3/2011-FC(Vol-I) दिनांक–06.01.2022 द्वारा एन0पी0वी0 की दरो का पुर्ननिर्धारण किया गया है एवं पत्र संख्या 5-3/2011-FC(Vol-I) दिनांक–19.01.2022 के अनुसार अपेक्षित कार्यवाही करने का कष्ट करें।
2. क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र का राजस्व अभिलेखों (खसरा / खतौनी नं0 अंकित करते हुये) के अनुसार मिलान कर मानचित्र / उपयुक्तता प्रमाण पत्र खसरा संख्या का उल्लेख करतें हुये मूल प्रति में उपलब्ध कराये जाने का कष्ट करें।
3. क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम हस्तान्तरित भूमि को वन अधिनियम, 1927 के अर्न्तगत आरक्षित / संरक्षित घोषित किये जाने का प्रमाण पत्र भी इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
4. उपरोक्त के अतिरिक्त इस आशय का प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है कि प्रस्ताव में स्वीकृत समरेखण में ही वृक्षों का पातन एवं स्वीकृत समरेखण में ही मोटर मार्ग का निर्माण किया गया है।
5. यदि प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रस्तावक विभाग को Working permission दे दी गयी है, तो उसकी प्रति भी इस कार्यलय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
6. यदि प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र आरक्षित वन है तो उसका अधिसूचना (Notification) भी अनुपालन आख्या के साथ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
7. प्रमुख वन संरक्षक (HOFF), उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक 1269 / P.O दिनांक 10.06.2022 द्वारा जारी पत्र में उल्लेखित बिन्दु–01 कृपया सुनिश्चित करें कि ये क्षेत्र जब सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा वन विभाग के पक्ष में दाखिल खारिज किये जाते है तो उस आदेश में यह स्पष्ट इंगित हो कि प्रश्नगत सिविल क्षेत्र का रकवा कितना है तथा उनमें से कितना क्षेत्र वन विभाग के पक्ष में दाखिल खारिज किया जा रहा है एवं यह क्षेत्र पूर्व में किसी अन्य योजना में अथवा वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत पूर्व में गठित प्रस्ताव में नहीं दिया गया है।

अतः उपरोक्त वर्णित कमियों का निराकरण प्रभागीय वनाधिकारी / प्रस्तावक विभाग के स्तर से पूर्ण करते हुये उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन सूचना / आख्या अपनी सुस्पष्ट संस्तुति सहित इस कार्यालय को ऑनलाईन / ऑफलाईन (03 मूल प्रतियों में) यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रस्ताव पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

गढ़वाल वृत्त उत्तराखण्ड पौड़ी
प्राप्ति सं0 621
पत्रावली संख्या ...
दिनांक 23/07/22

भवदीय,

(ए0के0गुप्ता),
वन संरक्षक।

संख्याः– / FP/UK/ROAD/32113/2018 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग रूद्रप्रयाग को उक्त संदर्भित विषयक पत्र के कम में इस आशय से प्रेषित कि उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या का प्रयोक्ता अभिकरण से भली भांति परीक्षण कराकर तथ्यात्मक आख्या संबंधित वन संरक्षक के माध्यम से सुस्पष्ट संस्तुति सहित इस कार्यालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(ए0के0गुप्ता)

कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,

इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail :nodalofficerddn@gmail.com | Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांक– / FP/UK/ROAD/32113/2018 देहरादूनः दिनांकः 15 जुलाई, 2022

सेवा में,

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड
पौडी।

विषयः– जनपद–रूद्रप्रयाग के अंर्तगत ककोला–शीशों–अगरोंदला–कलाकोट–जयकण्डी–बगड़धार–काण्डा–गणेशनगर मोटर के निर्माण हेतु 0.833 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव के संबध में।

संदर्भः–आपका पत्रांक –2952 / 12–1, दिनांक 20.06.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, उक्त के कम में उत्तराखड़ शासन के पत्र दिनांक–10.09.2018 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी जिसकी अनुपालन आख्या आपके उक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है। आपके उक्त संदर्भित पत्र के द्वारा प्रेषित की गयी सूचना / आख्या का कार्यालय द्वारा परीक्षण किया गया, परीक्षणोपरान्त प्रस्ताव में निम्न कमियां इंगित हुयी हैः–

1. भारत सरकार के पत्र संख्या–5-3/2011-FC(Vol-I) दिनांक–06.01.2022 द्वारा एन0पी0वी0 की दरो का पुर्ननिधारण किया गया है एवं पत्र संख्या 5-3/2011-FC(Vol-I) दिनांक–19.01.2022 के अनुसार अपेक्षित कार्यवाही करने का कष्ट करें।
2. क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र का राजस्व अभिलेखों (खसरा / खतौनी नं0 अंकित करते हुये) के अनुसार मिलान कर मानचित्र / उपयुक्तता प्रमाण पत्र खसरा संख्या का उल्लेख करतें हुये मूल प्रति में उपलब्ध कराये जाने का कष्ट करें।
3. क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम हस्तान्तरित भूमि को वन अधिनियम, 1927 के अर्न्तगत आरक्षित / संरक्षित घोषित किये जाने का प्रमाण पत्र भी इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
4. उपरोक्त के अतिरिक्त इस आशय का प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है कि प्रस्ताव में स्वीकृत समरेखण में ही वृक्षों का पातन एवं स्वीकृत समरेखण में ही मोटर मार्ग का निर्माण किया गया है।
5. यदि प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रस्तावक विभाग को Working permission दे दी गयी है, तो उसकी प्रति भी इस कार्यलय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
6. यदि प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र आरक्षित वन है तो उसका अधिसूचना (Notification) भी अनुपालन आख्या के साथ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
7. प्रमुख वन संरक्षक (HOFF), उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक 1269 / P.O दिनांक 10.06.2022 द्वारा जारी पत्र में उल्लेखित बिन्दु–01 कृपया सुनिश्चित करें कि ये क्षेत्र जब सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा वन विभाग के पक्ष में दाखिल खारिज किये जाते है तो उस आदेश में यह स्पष्ट इंगित हो कि प्रश्नगत सिविल क्षेत्र का रकवा कितना है तथा उनमें से कितना क्षेत्र वन विभाग के पक्ष में दाखिल खारिज किया जा रहा है एवं यह क्षेत्र पूर्व में किसी अन्य योजना में अथवा वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत पूर्व में गठित प्रस्ताव में नहीं दिया गया है।

अतः उपरोक्त वर्णित कमियों का निराकरण प्रभागीय वनाधिकारी / प्रस्तावक विभाग के स्तर से पूर्ण करते हुये उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन सूचना / आख्या अपनी सुस्पष्ट संस्तुति सहित इस कार्यालय को ऑनलाईन / ऑफलाईन 03 मूल प्रतियों में में यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रस्ताव पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

(ए0के0गुप्ता)
वन संरक्षक।

संख्याः– 184 / FP/UK/ROAD/32113/2018 दिनांकित।

प्रतिलिपिः– प्रभागीय वानाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग रूद्रप्रयाग को उक्त संदर्भित विषयक पत्र के कम में इस आशय से प्रेषित कि उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या का प्रयोक्ता अभिकरण से भली भांति परीक्षण करावार तथ्यात्मक आख्या संबधित वन संरक्षक के माध्यम से सुस्पष्ट संस्तुति सहित इस कार्यालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

रूद्रप्रयाग वन प्रभाग रूद्रप्रयाग
1121
12-10-22

(ए0के0गुप्ता)
वन संरक्षक।

File No.5-3/2011-FC(Vol-I)

संलग्नक-1

Government of India
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
(Forest Conservation Division)
******

Indira Paryavaran Bhavan, Aliganj, Jorbagh Road
New Delhi-110 003
Date: 19th January, 2022

To

The Additional Chief Secratry (Forest)/Principal Secretary (Forest),
All State Governments and Union Territory Administrations

Sub: Date and stage of application of the revised rates of Net Present Value (NPV)- reg

Sir,

I am directed to refer to this Ministry's letter of even number dated 6.01.2022 wherein revised rates of NPV were conveyed to all State Govts/UTs and to inform that the revised rates of NPV are applicable for all proposals, where:

i. In-principle approval under Section 2 (ii) of the Forest (Conservation) Act, 1980 has been obtained after 06.01.2022, or

ii. In-principle approval under Section 2 (ii) of the FC Act was obtained more than five years ago, i.e. on or before 06.01.2017, but Stage–II approval has not been obtained as on 06.01.2022.

This issues with the approval of the competent authority.

Yours faithfully,

Sd/-
(Sandeep Sharma)
Assistant Inspector General of Forests

Copy to:

1. The Principal Chief Conservator of Forests, All State Governments and Union Territory Administrations
2. The Regional Officer, All integrated Regional Offices of the MoEF&CC
3. The Nodal Officer (FCA), All State Governments and Union Territory Administrations
4. Monitoring Cell, FC Division, MoEF&CC, New Delhi
5. Guard File

PDF Scanner ACE Scanner